

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021 — चैत्र 6, शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-87-2/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/695

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2021

आसीफ अली, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पालिक निगम दुर्ग, जिला दुर्ग, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 9 मार्च, 2021.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), दुर्ग, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 27-1-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम, दुर्ग के दिसम्बर-2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -8 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी आसीफ अली भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर, 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), दुर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिक निगम, दुर्ग के आम निर्वाचन 2019-20 में वार्ड क्रमांक-8 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी आसीफ अली द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), दुर्ग के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी आसीफ अली को दिनांक 29-5-2020 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरहित किया जाए. कारण बताओ सूचना दिनांक 1-7-2020 को तामील की गई. अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थी आसीफ अली को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार प्रकरण में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), दुर्ग द्वारा दिनांक 27-1-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम दुर्ग के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -8 के पार्षद पद के अभ्यर्थी आसीफ अली ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), दुर्ग के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम, दुर्ग के दिसम्बर 2019-जनवरी 20 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-8 के पार्षद पद के अभ्यर्थी आसीफ अली द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी आसीफ अली प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी आसीफ अली को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 9 मार्च, 2021 को जारी किया गया।

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.